



# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 1/परीक्षा/2010/08.02.2010

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि-12.03.2010

## महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 11.2.2010 (दोपहर 12.00) से 12.3.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर भरे जा सकते हैं।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अन्तर्गत तथ्यांक प्रशासक (Database Administrator) के अस्थायी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

पद/विभाग का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गावार संख्या				रिक्तियों में से वर्गावार महिलाओं के लिये आरक्षित पद			
		अना. अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व. अनु. जनजाति	अना. अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व. अनु. जनजाति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तथ्यांक प्रशासक (डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर)	03	02	-	01	-	-	-	-	-
अस्थायी वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन									

टीप - (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

- (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (iii) चयनित आवेदक को नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी।

दो - पद का विवरण -

- (अ) पद का नाम - तथ्यांक प्रशासक (डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर)
- (ब) विभाग का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- (स) श्रेणी - राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति - अस्थायी
- (इ) वेतनमान - रुपये 8000-275-13500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (ई) अर्हता - बी.ई. (कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी) एम.सी.ए./एम.सी.एम./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर/आई.टी.) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र सहित उपरोक्त ग्रेड के साथ समतुल्य उपाधि।

टीप - संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होनी चाहिए। कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान आवश्यक है।

तीन - 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।  
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार - आयु सीमा - न्यूनतम 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी। आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचाइल्ड या कांटेजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

पांच - मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -  
अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।  
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छ - महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

सात - अधिवार्पिकी आयु - 60 वर्ष।

आठ - चयन प्रक्रिया - उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये

प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग प्रत्याशियों को अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। पर्याप्त संख्या में आवेदक उपलब्ध न होने पर अनारक्षित श्रेणी के लिए 33 प्रतिशत एवं आरक्षित के लिए 23 प्रतिशत अंकधारी आवेदक उत्तीर्ण माने जायेंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मुल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

नौ - परीक्षा की तिथि - 23.5.2010

दस - परीक्षा केन्द्र - लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी -

परीक्षा केन्द्र कोड

भोपाल - 01

इंदौर - 02

उम्मीदवार द्वारा भरे गए स्थान के अनुसार केंद्र आवंटित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे किंतु यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा भरा गया परीक्षा केंद्र ही आवंटित किया जाये। आयोग परीक्षा केंद्र की क्षमता एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा। आवेदक आवेदन पत्र भरते समय अपने परीक्षा केन्द्र का सावधानीपूर्वक चयन करें। एक बार भरा गया परीक्षा केन्द्र बदला नहीं जाएगा। परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र ले जाना वर्जित है।

ग्यारह - आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

बारह - प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - अर्हताधारी आवेदकों द्वारा अपने प्रवेश पत्र [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) अथवा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) या [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) में डाउनलोड कर सकेंगे, पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी।

तेरह - प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं।

चौदह - यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

पन्द्रह - आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- (i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट - एक
- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारीयों हेतु परिशिष्ट - दो
- (iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट - तीन

परिशिष्ट-1

प्रभारी सचिव

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें -

- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- (3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप - ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्पिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्पिकी आयु 60 वर्ष है)

(4) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चाइल्ड या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1, दिनांक 10.5.1993 अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।

(6) स्वयंसेवी नगर सैनिकों/वालंटरी होमगार्ड एवं नगर सेना के नाम कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उत्तरी काल अवधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्येधीन रहते हुए दी जाएगी। किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(7) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण - छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्याय आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(8) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा

की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(9) विकलांग श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट -

- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)/1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

**टीप - (1) परिशिष्ट-एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा विद्वु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिए एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(3) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को (एक) में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

**नोट -** उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

#### परिशिष्ट-2

#### ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- तथ्यांक प्रशासक के लिए आवेदन पत्र [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) अथवा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) या [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं -
- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे -
  - <https://www.mponline.gov.in>
  - [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com)
  - [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in)
- आवेदन पत्र वेबसाइट पर <https://www.mponline.gov.in>, [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक [mponline](http://mponline) के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं :-
- आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- [mponline](http://mponline) के अधिकृत कियोस्कों की सूची <https://www.mponline.gov.in>, [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। <https://www.mponline.gov.in> के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
- आवेदन पत्र Submit करने के बाद तथा Transition ID खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें।
- आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में मान्यता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

**2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क -**

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनके लिये परीक्षा शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होगा।

(ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रु. 60/- कुल रुपये 90/- देय होंगे।

(स) शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रु. 120/- कुल रुपये 180/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क
90/- रुपये	180/- रुपये
उपरोक्त के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।	

परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के लिए शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617

मोबाइल : तनमय तिवारी 9300282449

राजेश गुर्जर 9009841980, अनिल सेठी 9977992395

टीप - आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा -

- आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
  - किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
- पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

**नोट-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।

म.प्र. लोक सेवा आयोग

रेसोडेंसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एमपीऑनलाइन लिमिटेड

निरूपम शांति मॉल

द्वितीय तल, अहमदपुर,

होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026

फोन (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617

काल सेंटर - 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए)

विपुल 9424719269 एवं गीत कानूनगो 9893890299

(अन्य) तनमय तिवारी 9300282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

3. आवेदन की अंतिम तिथि -

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12.03.2010 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा -

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

जाति के प्रमाण पत्र- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्राथमिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएं जाति प्रमाणपत्र हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

विकलांगता प्रमाण पत्र :-

विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मैडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर विकलांग भी लिखें। (विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट - एक की कंडिका-(एक-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-4 से 8 तक) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये

नियोजक अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2)** के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-3)** के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

#### 5. नियोजक की अनापत्ति -

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनके यह परिचयन (Under taking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोजक से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

#### 6. अनुशासनिक निर्देश -

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राय किया हो, या
2. प्रतिरूपण किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या
4. कूटचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक शक्ति पहुंचाई हो, या
9. उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार, अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा-  
(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दावा हो सकेगा और/या  
(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-  
(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से,  
(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा, और  
(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्त इस नियम के अधीन कोई शांति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि-  
(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और  
(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

#### 7. अनर्हताएँ -

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

#### 8. प्रवेश पत्र -

1. किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
2. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा <https://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
3. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से संपर्क करें।
4. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे।
5. यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परंतु उसे आयोग की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष सतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

#### 9. यात्रा व्यय का भुगतान -

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें। उन्हें उनके निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

प्रभारी सचिव

#### परिशिष्ट-3

#### वित्त विभाग के अंतर्गत तथ्यांक प्रशासक के पद की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना

1. तथ्यांक प्रशासक पद की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा।
  2. इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश से संबंधित 25 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी/डाटाबेस सिस्टम, प्रिन्सीपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एण्ड कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर वायरस, डाटाहैंकिंग से बचाव के उपाय से संबंधित 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का चार A, B, C, D संभावित उत्तरों वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।
  3. प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा। लिखित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए मायनस मार्किंग किया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जायेगा।
  4. लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर और आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देते हुए उन्हें 30 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर परीक्षा में उत्तीर्ण माने जायेंगे। पर्याप्त संख्या में आवेदक उपलब्ध न होने पर अनारक्षित श्रेणी के लिए 33 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लिए 23 प्रतिशत अंकधारी आवेदक उत्तीर्ण माने जायेंगे।
  5. परीक्षा में उच्चतम प्राप्तांकधारी आवेदक रिक्त पदों के तीन गुना एवं समान अंकधारी आवेदक साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जायेंगे।
  6. साक्षात्कार के कुल 35 अंक निर्धारित हैं।
  7. साक्षात्कार उपरान्त चयनफल साक्षात्कार एवं परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के मेरिट क्रमानुसार घोषित किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा, परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप  
(1) इंदौर, (2) भोपाल में आयोजित की जा सकेगी।

#### Syllabus for Database Administrator Exam

##### Unit – I

1. General Knowledge of General Science – Questions testing of general mental ability.
2. Contemporary events of national and international importance.
3. History and Geography of India with special reference to Madhya Pradesh.
4. System of Indian Government and Economics.
5. Questions relating to Sports
6. General awareness about Computer and IT; Computer Programming Fundamentals; Overview of Computer Organization, Data Structures, Algorithms, Operating Systems, Computer Network etc.

##### Unit – II

Introduction to DBMS, Characteristics, Database Approach v/s Traditional File Accessing Approach, Advantage of Database Systems, Architecture, Data Models, Schemas and Instances, Data Independence, Data Base Language and Interfaces, Overall Database Structure, Data Dictionary, Functions of DBA and Designer, Physical Organization of Database, File Structures, Database Analysis & Design with ER Model, Case Study.

##### Unit – III

Relational Data Models : Domains, Tuples, Attributes, Relations, Characteristics of Relations, Keys, Key Attributes of Relation, Relational Database, Schemas, Integrity Constraints, Referential Integrity. Query Languages : SQL-DDL, DML, Integrity Constraints, Complex Queries, Various Joins, Indexing, Triggers, Assertions, Relational Algebra : Relational Algebra Operations like Select, Project, Join, Division, Outer Union.

##### Unit – IV

Introduction to Normalization, Normal Forms, Functional Dependency, Decomposition Properties. Query Optimization : Introduction, Steps of Optimization, Optimization Methods : Heuristic Based, Cost Estimation Based.

##### Unit – V

Transaction Processing Concepts – Transaction System, Testing of Serializability, Serializability of Schedules, Conflict & View Serializable Schedule, Recoverability, Recovery from Transaction Failures. Log Based Recovery, CheckPoints, Deadlock Handling, Concurrency Control Techniques.

##### Unit – VI

Case Study for Database Design Using ER Data Model and Applying Normalization on it. Implementation of this case study with Oracle/MS-Access/SQL server/Informix etc. Database User Management, Managing Database Storage Structures, Administering User Security, Performance Management, Database Tuning.

##### References

1. Data CJ, "An Introduction to Database System", Addison Wesley
2. Rob, "Database System : Design Implementation & Management", Cengage Learning
3. Elmasri, Navathe, "Fundamentals of Database Systems", Addison Wesley
4. Korth, Silbertz, Sudarshan, "Fundamental of Database System", McGraw Hill
5. Patrick O'Neil & Elizabeth O'Neil, "Database Principles, Programming & Performance", Morgan Kaufmann Publishers, Inc.
6. Oracle 91 Database Administration Fundamentals-I, Volume-I, Oracle Press.

G-21484/4579/2010